AGREEMENT

concerning cultural relations
between the Republic of India and the Republic of Indonesia

The Government of India and

The Government of Indonesia

Conscious of the many centuries of cultural relations between the peoples of India and Indonesia,

Desiring to strengthen their existing friendship and promote further understanding and closer cooperation in the field of culture, to which general expression was given in their Treaty of Friendship signed on the 3rd March, 1951 and

Following the recommendation to enter into bilateral agreement in the field of culture and education issued in the joint communique from the Afro Asian Conference at Bandung, 25th April, 1955,

Have decided to conclude a Cultural Agreement and to this end have appointed as their plenipotentiaries:

The Honourable Maulana Abul Kalam Azad, Minister of Education of the Republic of India

His Excellency Mr.L.N.Palar,

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the

Republic of Indonesia

who having examined each other's credentials and found them good and in due form have agreed as follows:

Article 1

The two Governments declare their desire to encourage and facilitate cooperation in all fields of science, literature and art.

Article 2

The two Governments declare their desire to encourage and facilitate reciprocal visits of University teachers and members of scientific and cultural institutions, for the purpose of their giving lectures or special courses.

Article 3

It is the desire of each Government to institute scholarships to enable its students to pursue their studies in Universities of the other country, to study its language and civilisation.

Article 4

Each Government will receive, as far as its own resources and requirements will permit, employees or other nationals recommended by the other Government for training in its scientific, technical and industrial institutions.

Article 5

Each Government will welcome the establishment in its territory of cultural institutes of the other, subject to compliance with the laws governing the establishment of such institutes in that

country and the general policy of that Government. The term "cultural institute" includes educational centres, libraries, scientific institutions of an educational nature, and institutions for the promotion of art, such as art galleries, art societies, and film libraries.

Article 6

The two Governments will encourage, so far as is financially practicable, cultural and intellectual cooperation between the two countries by arranging concerts, lectures, art and scientific exhibitions, by organising student visits, by encouraging the collaboration of scientific, artistic and literary societies and other or association devoted to the promotion of learning, by establishing chairs in Universities or other institutions of higher learning for the teaching of subject pertaining to the country of the other, by the distribution of books and periodicals, by the exchange of archaeological specimens, objects d'art and government produced films, and through broadcasts on the radio.

Article 7

The two Governments will encourage competition in the field of sport between their two countries, and collaboration between their scout organisations.

Article 8

Each Government will, so far as it lies within power, ensure that text books prescribed for educational institutions do not contain any errors or misrepresentations about the other's country.

Article 9

The two Governments have agreed that Indonesian nationals who hold the leaving certificate of the Indonesian senior Secondary School and who have been admitted to recognised Universities in Indonesia shall be entitled, on producing their certificates, to

admission to Indian Universities, subject to the laws and regulations in force, while Indian nationals from recognised Indian Universities, who hold similar certificates shall enjoy the same privileges on the same terms, in Universities in Indonesia.

Article 10

For the purpose of carrying out this agreement, the two Governments may, if necessary, agree to set up a special commission composed, in India, of the Minister of Education and the Head of the Indonesian Diplomatic Mission, and in Indonesia, of the Minister of Education and the Head of the Indian Diplomatic Mission, with such advisers as may be nominated by either member of the Commission with the object of:

- (a) supervising the working of the Agreement in the country concerned;
- (b) advising the Governments concerned on details of implementing the Agreement;
- (c) making recommendations for the selection of personnel for the exchange of professors, students, etc.
- (d) generally advising the Governments concerned of possible improvements in the implementation of the Agreement.

At intervals of not less than once in three years the two Governments will hold joint consultation to coordinate the working of the Agreement in the two countries and to invite suggestions and advice from cooperating agencies concerning steps that may be deemed necessary for a more effective implementation of this Agreement.

Article 11

The present Agreement shall be ratified with the least possible delay.

The Agreement will come into force fifteen days, after the exchange of the instruments of ratification which will take place in New Delhi.

. . . .

Article 12

The Agreement will remain in force for a period of ten years. It can be terminated by either party giving a minimum of six month's notice before the expiry of this period.

Otherwise it shall remain in force until either party terminates it by giving six month's notice.

In faith thereof, the said plenipotentiaries have signed the present Agreement in duplicate in the English, Indonesian and Hindi languages, the English text being authentic.

Signed at New Delhi, this twenty-ninth day of December 1955.

For the Government of India,

For the Government of Indonesia,

d.K. Ba

(A. K. Azad) Minister for Education (L.N. Palar)
Ambassador Extra-ordinary
and plenipotentiary

Malh









भारत गण राज्य और इंडोनेशिया गण राज्य के बीच सांस्कृतिक सम्बन्धों का करार

मारत की सरकार और इंडोनेशिया की सरकार

ì

मारत और इंडोनेशिया के लोगों के बीच सैकड़ों वर्षों के सांस्कृतिक सम्बन्धों को जानते हुए,

3 मार्च 1951 को जिस मैत्री-संधि पर हस्तादार किये गये थे, उसमें इन दोनों देशों के बीच जिस विद्यमान मैत्री को और संस्कृति के देन त्र में जिस सहयोग और सद्मावना को सामान्य रूप से व्यक्त किया गया था, उसी को बढ़ावा देने की हक्का से, और

25 अप्रैल 1955 को बांद्धा में अफ़ रिक़ी-एशिया है सम्मेलन ने जो यह संयुक्त विज्ञिप्त जारी की थी कि सम्मेलन संस्कृति और शिला के देन त्र में दुपत्ती करार करने की सिफ़ारिश करता है, उसका अनुसरण करते हुए,

भारत गण राज्य के शिता - मंत्री

माननीय मौलाना अञ्जल क्लाम आज़ाद इंडोनिशिया गण राज्य के असाधारण राज्यूत और पूर्णाधि-कारी प्रमिश्रष्ठ श्री स्ल० स्न० पालार

इन्होंने सक हुसरे के प्रत्यय पत्र देखे हैं और उन्हें ठीक और उचित रूप में पाकर दोनों नीचे लिखी बातों पर सहमत हुथे हैं :-

अनुच्लेद 1

दोनों सरकारें विज्ञान, साहित्य और क्ला के दात्र में सहयोग को प्रीत्साइन देने और इस के लिये सुविधाय देने की इच्का प्रकट करती है

उत्चिष् 2

दोनों सरकारें यह इच्छा प्रकट करती है कि वे विश्वविद्यालयों के अध्यापकों और वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संस्थाओं के सदस्यों को व्याख्यान देने या विशेष विषयों को पढ़ाने के लिए एक हूसरे के यहां आने जाने को प्रोत्साहन दें, और इस के लिये सुविधायें दें।

अनुच्छेद 3

दोनों सरकारों की इच्छा है कि वे ऐसी छात्रवृत्तियां नियत करें जिससे कि एक सरकार के मेजे हुए विधाधी दूसरी सरकार के राज्य दोत्र में जो विश्वविधालय हों, उनमें अपनी पढ़ाई जारी रख सकें और वहां की माजा और सम्यता का अध्ययन कर सकें।

अनुच्छेन 4

हर सरकार अपने साधनों और आवश्यकताओं के अनुसार दूसरी सरकार द्वारा सिफ़ारिश किए गये कर्मनारियाँ या दूसरे राष्ट्रिकों को अपनी वैज्ञानिक, तकनीकी और औद्योगिक संस्थाओं में शिलाण के लिए अंगिकार करेंगी।

अनुच्छेद 5

दोनों सरकारें एक इसरे के राज्य दोत्र में सांस्कृतिक संस्थानों की स्थापना का स्वागत करेंगी - जो कि दोत्र विशेष में ऐसे संस्थानों की स्थापना के कृत्नों और सरकार की आम नीति के अधीन की जायेगी। "सांस्कृतिक संस्थान "शब्द का आश्य होगा, शिद्धा -केन्द्र, पुस्तकालय, शिद्धा सम्बन्धी वैज्ञानिक संस्थाएं और क्ला की उन्नति करने वाली संस्थाएं जैसे क्ला-वीथी, क्ला-समाज और फ़िल्म पुस्तकालय।

अनुच्छेद 6

दोनों सरकारें जहां तक, आधिक दृष्टि से संभव होगा, संगीत-समारी हों, व्याख्यानों और क्ला और विज्ञान की प्रदर्शनियों की व्यवस्था करके, विद्याधियों की यात्राओं का आयोजन करके, क्ला, विज्ञान और साहित्य-समाजों और विद्या की उन्नति में लगी हुई दूसरी संस्थाओं के बीच सहकारी को बढ़ावा देकर, विश्वविधालयों और उच्च शिका देने वाली दूसरी संस्थाओं में इक दूसरे से सम्बन्ध रखने वाले विषयों में शिका देने के लिए विभाग खोलकर, अपनी अपनी पुस्तकें और पित्रकार्ये इक दूसरे के यहां भेजकर, पुरातत्त्व के नमूनों, कलात्मक वस्तुओं और सरकार द्वारा तैयार की गई फिल्मों के विनिमय से और रेडियो प्रसारणों से दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और बौद्धिक आदान-प्रदान बढ़ाने का प्रयत्न करेंगी।

न्तुच्छेष 7

दोनों सरकार दोनों देशों के बीच लेल-प्रतियोगिताओं को, जॉर स्काउट-संघों के बीच सहकायें को बढ़ावा देंगी ।

अनुच्छेद 8

दोनों सरकार परसक यह ध्यान रखेंगी कि शिदार -संस्थाओं में लगी पाठ्य-पुस्तकों में एक दूसरे देश के बारे में गृलत या प्रान्तिजनक बातें न हीं।

अतुच्छेद 9

दोनों सरकारें इस बात पर राज़ी है कि इंडोनेशिया के उन राष्ट्रिकों की, जिन्होंने इंडोनेशिया है उच्च माध्यमिक स्कूल का 'ली विंग सिटिंपि केट' हासिल किया हो और साथ ही इंडोनेशिया के मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालयों में प्रवेश भी पा चुके हों, यह हक होगा कि वे उन कातूनों और विनियमों के अधीन रहते हुए जो उस समय लागू हों, अपने प्रमाण पत्र पेश करने पर भारतीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश पा सकें। मान्यता-प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालयों के भारतीय राष्ट्रिकों को भी इंडोनेशिया के विश्वविद्यालयों में इन्हीं शर्तों पर यही प्राधिकार मिलेंगे।

अनुच्चेष 10

इस करार की शर्तों पर अमल करने के लिए, अगर ज़रूरी हो, तो दोनों सरकारें एक विशेष आयोग की स्थापना कर सकती हैं। इस आयोग के सदस्य भारत में भारतीय शिका -मंत्री और इंडोनेशिया के राजनियक मिशन के अध्यदा और इंडोनेशिया में वहां के शिक्ता - मंत्री और मारतीय राजनियक मिशन के अध्यदा रहेंगे और इनके अलावा ऐसे सलाहकार भी रहेंगे, जिनकों कोई भी सदस्य नामित कर दे। इस आयोग के नीचे लिखे उद्देश्य होंगे।

- (क) इस बात की निगरानी करना कि सम्बन्धित देश में करार पर किस तरह अमल हो रहा है,
- (स) सम्बन्धित सरकारों को करार के परिपालन के लिये ब्योरेवार तरीकों के बारे में सलाह देना,
- (ग) प्राध्यापकाँ, हात्रां आदि के विनिमय के सम्बन्ध में व्यक्तियों के निवाचन की सिफ़ार्शें करना,
- (घ) सम्बन्धित सरकारों को सामान्य क्ष्म से ऐसे तरीक़ाँ के बारे में सलाइ देना जिससे करार पर और अच्छी तर्ह अमल किया जा सके।

तीन वर्ष में कम से कम एक बार दोनों सरकार करार के अधीन दोनों देशों में होने वाले काम का समंजन करने के लिए और इसमें सहयोग देने वाली एजेंसियों से इस बारे में सलाह मांगने के लिए कि करार पर और अच्ही तरह अमल करने के लिए क्या उपाय जूड़री है, मिल जुल कर विचार करेंगी ।

अनुच्छेद ११

इस करार का जल्दी से जल्दी सत्यांकन किया जायेगा । सत्यांकन पत्रों के विनिमय के 15 दिन बाद यह करार लागू ही जायेगा । पत्रों का विनिमय नई दिल्ली में होगा ।

अनुन्हेद 12

यह करार दस वर्ष की अवधि तक लागू रहेगा । इस अवधि के समाप्त होने से पहले को है भी पदा कम से कम क्: महीने की पूर्वसूचना दें कर इसे समाप्त कर सकता है।

वरना उसके बाद यह तब तक लागू रहेगा जब तक कोई पदा हू: सहीने की पूर्वसूचना दें कर इसे समाप्त न कर दें।

इस के सादय में उक्त पूर्णाधिकारियों ने इस करार के लेगेज़ी,

इंडोनेशियन और हिन्दी पाठों की दो दो प्रतियों पर अपने अपने हस्ताना र कर दिये हैं। इन में से अंग्रेज़ी पाठ प्रामाणिक होगा। नई दिल्ली में 29 दिसम्बर् 1955 को हस्तान र किये गये।

मारत सरकार की और से

इंडोनेशिया सरकार की ओर से

(₹० के० आजाद)

A. R.B

शिदा मंत्री

(स्ल० स्न० पालार)

असाधारण राजूत और पूणा धिकारी